राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में / Wholly owned by the Reserve Bank of India)



CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)
[NOT VALID FOR ACCEPTANCE OF PUBLIC DEPOSITS]

सं 0 / No. 04.0073.09

1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

टाटा कैपिटल हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

को दूसरी तरफ उद्धत शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किए बिना

आवास वित संस्थान का व्यापार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह पंजीकरण प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है। In exercise of the powers conferred on the National Housing Bank by Section 29A of The National Housing Bank Act, 1987

Tata Capital Housing Finance Limited

is hereby granted Certificate of Registration to commence / carry on the business of a housing finance institution

without accepting public deposits

subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नई दिल्ली मे आज वर्ष दो हजार _{नौ} के अप्रैल माह के दूसरे दिन जारी किया गया। Given under my hand at New Delhi this day of the month of in the year two thousand

April

Nine



सर्द्वाय आवास थेंड NATIONAL HOUSING BANK

प्राधिकृत हस्ताक्षरी